भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 59**

(जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों पर जोखिमभारिता को कम किया जाना**

59. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय आवासन बोर्ड भवन निर्माताओं को ऋण के चूक के मामलों में कुछ उद्यमों तथा उनकी आवासन वित्त कंपनियों के लेखा बही की जांच तथा निरीक्षण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक उन कंपनियों को ऋण देने के संबंध में बैंकों पर जोखिमभारिता को कम करने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)

**(क) और (ख):** भारतीय रिजर्वे बैंक (आरबीआई) अपने पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45(ढ) के तहत निरीक्षण करता है। एनबीएफसी के ऑनसाइट निरीक्षणों के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश सहित आस्ति की गुणवत्ता की भी जांच की जाती है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) अपने पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के काम पर अन्य बातों के साथ-साथ ऑन-साइट निरीक्षण, बाजार आसूचना और ऑफ-साइट निगरानी तंत्र, आवधिक विवरणियों/सूचना और उनके सत्यापन आदि के माध्यम से पर्यवेक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान यदि एचएफसी के द्वारा स्वीकृत कोई विशेष ऋण खाता चूक वाला पाया जाता है तो उसकी आस्ति गुणवत्ता के साथ-साथ विवेकपूर्ण मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य से जांच की जाती है।

**(ग):** बैंकों को आरबीआई द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि बासेल-III पूंजी विनियमन पर मास्टर परिपत्र के साथ पठित मौजूदा परिपत्र के अनुसार वे आरबीआई द्वारा मान्य और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) लिमिटेड में पंजीकृत बाह्य साख निर्धारण एजेन्सीज द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार कॉरपोरेट और एचएफसी में एक्सपोजर पर जोखिम भार उपलब्ध करायें।

\*\*\*